प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 05 अगस्त, 2016**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2016-17/268 दिनांक 05-7-2016 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-92/2016/2168/7152-16-18/2012 दिनांक 06 जुलाई, 2016 के क्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि असाध्य रोगों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थान को उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 05,50,00,000/- (रूपया पांच करोड पचास लाख मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0	संस्था का नाम	धनराशि (लाख में)
1	राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।	50.00
2	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।	50.00
3	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।	50.00
4	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।	50.00
5	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।	50.00
6	राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।	50.00
7	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारपुर।	50.00
8	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।	50.00
9	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ।	50.00
10	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर।	25.00
11	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।	25.00
12	जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।	50.00
	योग-	**550.00**

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली- 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- रा0मे0का0/संस्थान का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।

6- उक्त मद में अगली किस्त तभी निर्गत की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

7- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- धनराशि को कोषागार से संबंधित वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

9- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा,शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1142/दस-2016, दिनांक 05 अगस्त ,2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 104/2015/2761(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. संबंधित प्राधानाचार्य/रा0मेडिकल कालेज।
5. संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।